सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांगजन–बैकलॉग/विशेष चयन) (मुख्य) परीक्षा–2018 के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक अनुदेश।

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांगजन–बैकलॉग/विशेष चयन) (मुख्य) परीक्षा–2018 के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश एवं सूचनाएं निम्नवत् हैं । वे आवेदन–पत्र भरते समय इन्हें विशेष रूप से ध्यान में रखें:–

1. प्रश्नगत परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन आयोग के विज्ञापन संख्या–ए–2/ई–1/2018 द्वारा दिनांक 06 जुलाई, 2018 को प्रकाशित कराया गया था ।
2. विज्ञापन में प्रकाशित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्रारम्भिक परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि 06 अगस्त, 2018 तक धारित करने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे ।
3. मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक वही होगा जो प्रारम्भिक परीक्षा में था ।
4. अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी दावे की पुष्टि में सभी उपाधियों, प्रमाण पत्रों तथा अंक तालिकाओं (स्नातक/ परास्नातक की प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका) की स्वप्रमाणित प्रतियाँ आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने दावे की पुष्टि में उन्हें संलग्न नहीं किया जाता है तो उनका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा ।
5. अभ्यर्थियों ने प्रारम्भिक परीक्षा के आवेदन–पत्र में जिस श्रेणी/उपश्रेणी का दावा किया है उसकी पुष्टि में मुख्य परीक्षा के आवेदन–पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप पर नवीनतम शासनादेशों के अनुसार प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
6. मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य, उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु0 200/– एवं ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/= कुल रु0 225/– तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु0 80/– एवं ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– = कुल रु0 105/– निर्धारित है । क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थी शुल्क अपनी मूल श्रेणी के अनुसार जमा करेंगे परन्तु विकलांग अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– ही जमा करेंगे ।

8. मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय होंगे । अभ्यर्थियों को वैकल्पिक विषयों की सूची में से कोई भी एक विषय चुनने हैं । वैकल्पिक विषय में दो प्रश्न–पत्र होंगे । प्रत्येक प्रश्न–पत्र अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय हेतु निर्धारित समय तीन घण्टे हैं । वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्रों हेतु अधिकतम अंक 200 है तथा अनिवार्य विषय के प्रश्न–पत्रों हेतु अधिकतम अंक उनके सम्मुख अंकित हैं:–

(अ) अनिवार्य विषय

विषय	अधिकतम अंक
1–सामान्य हिन्दी	150
2–निबन्ध	150
3–सामान्य अध्ययन (प्रथम प्रश्न पत्र)	200
4–सामान्य अध्ययन (द्वितीय प्रश्न पत्र)	200
5– सामान्य अध्ययन (तृतीय प्रश्न पत्र)	200
6–सामान्य अध्ययन (चतुर्थ प्रश्न पत्र)	200

(ब) वैकल्पिक विषय

विषय	कोड सं.	विषय	कोड सं.
कृषि	01	प्राणि विज्ञान	02
रसायन शास्त्र	04	भौतिक विज्ञान	05
गणित	06	भूगोल	08
अर्थशास्त्र	09	समाज शास्त्र	11
दर्शन शास्त्र	12	भू विज्ञान	13
मनोविज्ञान	14	वनस्पति विज्ञान	15
विधि	16	पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान	17
सांख्यिकी	18	रक्षा अध्ययन	19
प्रबन्ध	20	राजनीति विज्ञान एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	21
इतिहास	22	समाज कार्य	23
नृ विज्ञान	24	सिविल अभियांत्रिकी	25
यांत्रिक अभियांत्रिकी	26	विद्युत अभियांत्रिकी	27
अंग्रेजी साहित्य	29	उर्दू साहित्य	30
अरबी साहित्य	31	हिन्दी साहित्य	32
फारसी साहित्य	33	संस्कृत साहित्य	34
वाणिज्य एवं लेखांकन	35	लोक प्रशासन	36
कृषि अभियांत्रिकी	37	चिकित्सा विज्ञान	38

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने वैकल्पिक विषयों के नाम एवं कोड परम्परागत आवेदन–पत्र में निर्धारित स्थान पर सही ढंग से अंकित करें । बाद में इसमें कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा ।

9. समूह–1 (Executive) में सम्मिलित–

डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर (वाणिज्य कर), वाणिज्य कर अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, जिला कमान्डेंट होमगार्डस, कोषाधिकारी/लेखाधिकारी, लेखाधिकारी जिला खाद्य विपणन अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, श्रेणी–2, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कार्य अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक (सहकारिता), अधिशासी अधिकारी, श्रेणी–1/सहायक नगर आयुक्त, सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी, गन्ना निरीक्षक एव सहायक चीनी आयुक्त, जिला बचत अधिकारी, उपसचिव, आबकारी निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, अधीक्षक कारागार, सहायक आयुक्त, उद्योग, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी पद हेतु अनिवार्य अर्हता स्नातक है तथा इसकी अधिमानी अर्हता निम्नलिखित है:–

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

पुलिस उपाधीक्षक, जिला कमान्डेंट होमगार्डस, आबकारी निरीक्षक तथा अधीक्षक, कारागार पद हेतु शारीरिक मापदण्ड विज्ञापन के अनुसार निर्धारित है।

समूह–1 (Executive) में सम्मिलित विशिष्ट अर्हता वाले पद–

1. सहायक श्रमायुक्त	वाणिज्य/विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाज शास्त्र के साथ कला में स्नातक या उसके समकक्ष अन्य अर्हता तथा अधिमानी अर्हता (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
2. उपनिबंधक	विधि स्नातक के साथ देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान तथा अधिमानी अर्हता (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
3. जिला प्रोबेशन अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान या समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता या सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक कार्य की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा अधिमानी अर्हता (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
4. सहायक निदेशक, उद्योग (हथकरघा), सहायक निदेशक, उद्योग (विपणन)	(1) किसी विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कला, विज्ञान या वाणिज्य या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या वस्त्रोद्योग में मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि या वस्त्रोद्योग में कम से कम स्नातक उपाधि । (2) देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान तथा अधिमानी अर्हता (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
5. सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, ग्रेड–I, सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, ग्रेड–II।	एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिक अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि। देव नागरी लिपि में हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान तथा अधिमानी अर्हता (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

समूह–2 (AGRI. SER-2/D.C.O.) में सम्मिलित–

उ0प्र0 कृषि सेवा समूह "ख" (विकास शाखा) एवं जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी पद की अनिवार्य अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता तथा अधिमानी अर्हता (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

समूह–3 (D.A.U.D.) में सम्मिलित–

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक की अनिवार्य अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि के साथ देवनागरी लिपि में लिखी गयी हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान तथा अधिमानी अर्हता–(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

समूह–4 (F.S.O.) में सम्मिलित–

खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद की अनिवार्य अर्हता–1–मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से खाद्य प्रोद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव –रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या औषधि में उपाधि। या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष/मान्यता प्राप्त अर्हता परन्तु किसी व्यक्ति को जिसका विनिर्माण आयात या किसी खाद्य पदार्थ के विक्रय में कोई वित्तीय हित हो खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा । अधिमानी अर्हता–(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

समूह–5 (L.E.O.) में सम्मिलित

श्रम परिवर्तन अधिकारी पद हेतु अनिवार्य अर्हता अर्थशास्त्र/समाज शास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि तथा विधि/श्रम संबंध/श्रम कल्याण/श्रम विधि/वाणिज्य/समाज शास्त्र/समाज कार्य/समाज कल्याण/व्यापार प्रबन्ध/कार्मिक प्रबन्ध में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा परास्नातक उपाधि ।

समूह–6 (D.I.O./SCRIPT WRITER/FEATURE WRITER/INCHARGE ENGLISH) में सम्मिलित

सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी, पटकथा लेखक, फीचर लेखक, प्रभारी अंग्रेजी पद की अनिवार्य अर्हता (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त उपाधि (2). पत्रकारिता में डिप्लोमा या 05 वर्ष का पत्रकारिता का अनुभव तथा अधिमानी अर्हता–(1) समाचार–पत्रों एवं पत्रिकाओं में लेख, पटकथा और फीचर लिखने का अनुभव । (2) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पत्रिकारिता में स्नातक उपाधि । (3) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से संगीत/प्रकाश व्यवस्था/अभिनय/निर्देशन इत्यादि में डिप्लोमा।

समूह–7 (PRINCIPAL) में सम्मिलित

प्रधानाचार्य पद की अनिवार्य अर्हता (1). भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (2) शिक्षा विभाग, उ0प्र0 का एल.टी. डिप्लोमा या बी.टी. या बी.एड. या किसी विश्वविद्यालय की कोई समकक्ष उपाधि। (3) हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कक्षाओं या उपरोक्त से उच्चतर कक्षाओं में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा मान्तया प्राप्त किसी ऐसी संस्था में कम से कम 03 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव।

जिला सूचना अधिकारी/सूचना अधिकारी, पटकथा लेखक, फीचर लेखक, प्रभारी अंग्रेजी, प्रधानाचार्य पद हेतु अनुभव प्रमाण–पत्र भी आवश्यक है।

आवेदन–पत्र के साथ अधिमानी अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी वांछित अभिलेख अवश्य प्रस्तुत करें ।
सभी सेवाओं के लिए व्यक्तित्व परीक्षण 100 अंक का होगा ।

11. मुख्य परीक्षा प्रयागराज तथा लखनऊ नगरों में आयोजित होगी । अभ्यर्थियों को आवेदन–पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अपना परीक्षा केन्द्र अंकित करना है । परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं है तथा इस संबंध में कोई प्रार्थना–पत्र/प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं है ।
12. अभ्यर्थी शैक्षिक अर्हता से संबंधित उपाधि, प्रमाण पत्रों, अंक–पत्रों, आरक्षण के दावे के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति एवं शुल्क के निमित्त ई–चालान–एस.बी.आई./पी.एन.बी. से ई–चालान जमा करने के प्रिंट आउट की प्रति के साथ 27.5 X 11.5 से.मी. साइज़ के दो लिफाफे जिन पर परीक्षा का नाम, अभ्यर्थी का नाम तथा पूरा पता अंकित हो, संलग्न करें । नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की स्वप्रमाणित फोटो जिस पर अभ्यर्थी के दिनांक सहित पठनीय पूरे हस्ताक्षर हो, फॉर्मेट के निर्दिष्ट स्थान पर चस्पा करना है ।
13. अभ्यर्थी प्रश्न–पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) या अंग्रेजी (रोमन लिपि) में दे सकते हैं। किन्तु किसी भी प्रश्न–पत्र के सभी प्रश्नों के उत्तर उपर्युक्त में से किसी एक ही लिपि में देना आवश्यक है, न कि अलग–अलग प्रश्नों के उत्तर अलग–अलग लिपि में। प्रश्न पत्र के किसी एक प्रश्न का उत्तर एक लिपि में तथा दूसरे प्रश्न का उत्तर दूसरी लिपि में देने वाले अभ्यर्थी अंकों की कटौती के रूप में दण्डित होंगे ।
14. अभ्यर्थी सभी स्तम्भ ठीक–ठीक भरने के बाद घोषणा के नीचे निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर अवश्य करें अन्यथा उनका आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा ।

——